

कार्यालय—जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई के प्रांगण में रखी लकड़ी की पब्लिक नीलामी दिनांक 15.09.2023 को अपराह्न 02 बजे से सांय काल 04 बजे तक न्याय भवन के सभागार में होगी। इच्छुक व्यक्ति बोली लगाकर लाभ उठायें। धरोहर की राशि मु0 5,000.00 रु0 प्रत्येक नीलामी के बोलीकर्ता को बोली बोलने के पूर्व अमीन सिविल कोर्ट, उरई के पास उसी दिन जमा करनी होगी। अंतिम बोली बोलने वाले व्यक्ति की धरोहर मु0 5,000.00 रु0 जमा रहेगी जो नीलामी समाप्त होने के बाद वापिस होगी।

अंतिम बोली स्वीकृत होने पर बोलीकर्ता को 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 कर भी देना होगा।

नीलामी समाप्त होने पर अंतिम बोली बोलने वाले व्यक्ति को सम्पूर्ण रकम तुरन्त जमा करनी होगी एवं उसी कार्य दिवस को निर्धारित स्टाम्प पर इकरारनामा लिखकर देना होगा।

(क) बोली बोलने वाले व्यक्ति बकायादार एवं कालीसूची के अन्तर्गत न आता हो। इस बात का शपथपत्र बोली बोलने से पूर्व जमा करना होगा।

(ख) बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला जज, जालौन स्थान उरई को सुरक्षित रहेगा।

(ग) बोली बोलने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न पंजीकृत हुआ हो और न ही आलम्बित हो। इस तथ्य का शपथपत्र बोलीकर्ता को बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेबसाइट www.allahabadhighcourt.in व जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई की बेबसाइट “ecourts.gov.in/jalaun” पर भी उपलब्ध है।

दिनांक—08.09.2023

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एकट) /
प्रभारी अधिकारी नजारत,

जनपद न्यायालय
प्रभारी अधिकारी
जालौन स्थान उरई।

जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई

प्रतिलिपि सेवा में—

- (1) कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई को नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।
- (2) जिला सूचना अधिकारी, उरई को निःशुल्क प्रचार-प्रसार कराने हेतु।
- (3) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप उरई को सूचना पट पर चर्चा करने हेतु।
- (4) अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, उरई को नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।
- (5) अधिशाषी अभियन्ता, साठनीवी0 उरई को नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।
- (6) अमीन सिविल को तुरन्त मुनादी एवं विस्तृत प्रचार एवं प्रसार कराने हेतु।
- (7) दैनिक कर्मयुग प्रकाश में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
- (8) बाह्य न्यायालयों को नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।

१५/१११

विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एकट) /
प्रभारी अधिकारी नजारत,

जनपद न्यायालय
प्रभारी अधिकारी
जालौन स्थान उरई।

जनपद न्यायालय
जालौन स्थान उरई